

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट चाहूवाली)

1. फकीरचन्द्र पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।- वादी बनाम
1. छबीलाराम पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी।
2. गुड्डी पत्नी औमप्रकाश पुत्री मनीराम जाति नाई निवासी आसाखेड़ा तहसील डयवाली जिला सिरसा।
3. सावित्री पत्नी श्रीराम पुत्री मनीराम जाति नाई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर।
4. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी/नायब तहसीलदार तलवाड़ा।

- प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-70/2018

अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-21.5.2018

वादी की ओर से रोहिताष चाहर एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से अरविन्द नैण एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.5.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी संख्या 1 फकीरचन्द्र को चक नं. 7 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 224/359 मु.नं. 11 कि.नं. 14,15,16,25/1.012 है. कमाण्ड मय गैर मुमकिन तथा चक केहरवाला बारानी के प.नं. 240/369 मु.नं. 21 कि.नं. 6/0.213, 7/0.245 है. बारानी प्रथम, 008 है. गै.मु. रास्ता, 8/0.241 बारानी प्रथम, 012 है. गै.मु. रास्ता, 9/0.241 है. बारानी प्रथम, 012 है. गै.मु. रास्ता, 10/0.241 है. बारानी प्रथम, 012 है. गै.मु. रास्ता, 11,12,13,14, 15/0.213 है. कुल 2.450 है. मय गैर मुमकिन मय रास्ता। तथा प्रतिवादी संख्या 1 छबीलाराम को प्राप्त आराजी- चक नं. 7 आरडब्ल्यूडी के प. नं. 224/359 मु.नं. 11 कि.नं. 4,5,6,7/1.012 है. कमाण्ड मय गैर मुमकिन तथा चक केहरवाला बारानी के प.नं. 240/369 मु.नं. 21 कि.नं. 4/1/0.063, 5,6/0.040, 15/.040, प.नं. 241/369 मु.नं. 22 कि.नं. 1,2,3,4/0.202, 6/0.051, 7/0.240, 8,9,10 कुल 2.407 है. बारानी प्रथम।

उपर्युक्तानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 छबीलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते। चक नं. 7 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 16/14 व चक केहरवाला बारानी के खाता संख्या 66/58 में से मनीराम पुत्र हेतराम का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित किया गया है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 21.5.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत चाहूवाली में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ... रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7. आदेशिका की तामील	0		0
	1100/-	जोड़	0